बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः–राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक के लिये मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में शहरीकरण की दर में वृद्धि होने के कारण आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने के पश्चात् आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भी राज्य योजना के अन्तर्गत पेय जलापूर्ति, पथ एवं नाला निर्माण, नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ इत्यादि योजनाएँ अलग–अलग चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का स्वरूप एकीकृत नहीं है, फलस्वरूप शहरी विकास एवं शहरी सौन्दर्यीकरण की प्रक्रिया में सुधार की सम्भावनाएं हैं।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के सर्वांगीण विकास यथा (जिसमें) जल निकास सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा पार्कों, घाटों, जलाशयों इत्यादि का एक साथ प्रावधान हो ताकि राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में विकास की गति त्वरित हो सके, के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय संकल्प संख्या–4945 दिनांक–20.07.2024 तथा विभागीय संकल्प–2862 दिनांक–11.09.2024 से वित्तीय वर्ष 2024–25 से ''मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना'' कार्यान्वित की गई थी। उक्त योजना में वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में प्रत्येक वर्ष ₹500.00 करोड़ रूपये की कर्णांकित राशि की तीन गुणी राशि की योजना ली जाती थी। उक्त योजना की महत्ता, आवश्यकता एवं जनहित में इसकी सर्वव्यापकता को देखते हुए वर्त्तमान में वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक प्रतिवर्ष ₹500.00 करोड़ रूपये का प्रावधान करते हुए पूर्व स्वीकृत योजनाओं की देनदारी को वर्षवार समायोजित करते हुये इसकी शेष राशि की तीन गुणी राशि की योजना ली जाएगी किन्तु वित्तीय वर्ष 2024–25 तथा 2025–26 में अनुशंसित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने के पूर्व जिला स्तरीय संचालन समिति की अनुशंसा पुनः प्राप्त करनी होगी।

2. इस योजना का कार्यक्षेत्र राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत होगा तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रकार प्रावधान किया गया हैः–

(i) इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, नाला निर्माण, पार्क निर्माण, तालाबों/घाटों का सौन्दर्यीकरण एवं अन्य नागरिक सुविधा हेतु जनोपयोगी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण इत्यादि कार्य किया जाना है।

(ii) ऐसे पथों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो नगर निकाय की हो तथा वे राष्ट्रीय/राज्य मार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों/मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ता हो एवं जनोपयोगी हो। इसके अलावा ऐसी सड़कें जो ज्यादा जनोपयोगी और ज्यादा आबादी को लाभान्वित करती हो, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii) नालों के चयन में आउटफॉल एरिया को प्राथमिकता दी जाएगी। अत्यधिक जल–जमाव वाले क्षेत्रों के जल–निकासी हेतु ट्रंक चैनल बनाया जायेगा एवं उसे आउटफॉल चैनल से जोड़ा जाएगा, जिससे नगर निकायों में जल–जमाव की समस्या दूर होगी।

(iv) निर्मित सड़कों/नालों के किनारे पेड़–पौधे, पार्किंग स्थल एवं पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ तथा सड़क के दोनों तरफ प्रकाश की व्यवस्था की जा सकेगी।

(v) सड़कों के बीच डिवाइडर के साथ अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग/स्ट्रीट लाइटिंग/मास्ट लाईट का प्रावधान किया जायेगा। बशर्ते कि सड़क की चौड़ाई पर्याप्त हो।

(vi) नागरिक सुविधाओं के अन्तर्गत झीलों/तालाबों/पार्कों/घाटों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण तथा अन्य जनोपयोगी कार्य कराये जा सकेंगे।

(vii) इस योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु कर्णांकित राशि से तीन गुनी राशि की योजनाओं की कार्य–योजना जिला स्तर पर तैयार की जाएगी। तत्पश्चात् राशि की उपलब्धता एवं योजनाओं की देनदारी के आलोक में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिशा–निदेश निर्गत किया जाएगा।

(viii) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० निविदा के माध्यम से किया जाएगा।

(ix) सड़कों का चयन करते समय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों को ध्यान में रखा जाएगा।

(x) सड़कों को बनाने के क्रम में यात्री वाहनों जैसे बस, टैक्सी इत्यादि के लिए ठहराव का प्रावधान किया जायेगा।

(xi)(क) योजनाएँ तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार सक्षम तकनीकी संस्थान/परामर्शी की सेवा ली जा सकती है तथा इसके लिए परियोजना लागत में प्रावधान किया जा सकेगा।

(ख) नियमानुसार सक्षम तकनीकी संस्थान/परामर्शी की सेवा लेने हेतु उसका चयन बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों का पालन कर किया जाना आवश्यक है।

(xii) योजना कार्य की गुणवत्ता की जाँच तथा अन्य आनुषंगिक कार्य नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

3. अभियंत्रण की व्यवस्थाः–

3.1 बुडको कार्य एजेंसी के रूप में योजना का सम्पादन करेंगे। राशि का प्रवाह बजट उपबंध के विरूद्ध इन कार्य एजेंसियों के PL खाता के माध्यम से किया जायेगा।

3.2 बुडको द्वारा जिलावार कर्णांकित राशि के आधार पर चयनित योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तथा उन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर एवं सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर कार्यान्वित कराया जाएगा।

4. मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजनान्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को निम्न रूपेण प्रत्यायोजित किया जाता हैः–

(i) जिला पदाधिकारी – 1.00 करोड़ रू० तक

(ii) प्रमंडलीय आयुक्त – 1.00 करोड़ रू० से ऊपर 2.50 करोड़ रूपये तक

(iii) विभागीय स्तर से – 2.50 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाएँ वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के अनुसार

5. जिला स्तरीय संचालन समिति :–

(i) संबंधित जिला के प्रभारी माननीय मंत्री	–	अध्यक्ष
(ii) स्थानीय विधायक (सिर्फ संबंधित शहरी क्षेत्र)	–	सदस्य
(iii) संबंधित जिला के सभी विधान पार्षद	–	सदस्य
(iv) जिला पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
(v) पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(vi) जिला में अवस्थित सभी नगरपालिका के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी	–	सदस्य
(vii) बुडा/बुडको के संबंधित कार्यपालक अभियंता	–	सदस्य

6. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य दिशा निर्देशः–

6.1 योजनाओं के चयन में अन्य विभागों द्वारा अथवा अन्य योजनाओं में ली गयी योजना/प्रस्तावित योजनाएँ सम्मिलित नहीं की जायेगी, जिससे एक ही योजना का दोहरीकरण अथवा पुनरावृति नहीं हो सके। किसी वित्तीय वर्ष मे प्राथमिकता सूची के किसी पथ/नाला/अन्य योजना का कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित/सम्पादित होता है तो उक्त योजना को प्राथमिकता सूची से हटा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राज्य स्कीम, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के मदों में राशि उपलब्ध होती है। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित स्कीम का दोहरीकरण अथवा पुनरावृति नहीं हो।

6.2 मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अन्तर्गत बनायी गयी सड़कें भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होगी। विशेष स्थिति में राज्य सरकार इससे भिन्न विशिष्टियाँ भी निर्धारित कर सकती है। उसके लिए समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत निदेश/अनुदेश निर्गत किया जाएगा।

6.3 सभी निर्माण कार्यों का विभिन्न स्तरों पर वीडियोग्राफी/जिओ टैग फोटोग्राफी करायी जायेगी तथा उन्हें जाँच प्रतिवेदनों के साथ संधारित किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश/अनुदेश निर्गत किया जाएगा।

6.4 निकाय/बुडको के द्वारा लेखा संधारण किया जाएगा।

7. अतः उपरोक्त कंडिका–1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के आलोक में राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक के लिये मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

8. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक–02.09.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/बुडको/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुनील कुमार),
सरकार के संयुक्त सचिव।

9396

ज्ञापांक–04 / मु०स०–07–01 / 2026 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 07/09/26

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

7.9.26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04 / मु०स०–07–01 / 2026 9396 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 07/09/26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.9.26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04 / मु०स०–07–01 / 2026 9396 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 07/09/26

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रबंध निदेशक, बुडको / सभी जिला पदाधिकारी / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / सभी पुलिस अधीक्षक / निदेशक, बुडा / अधीक्षण अभियंता, सभी नगर विकास अंचल / कार्यपालक अभियंता, सभी नगर विकास प्रमंडल / माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.9.26

सरकार के संयुक्त सचिव।